पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

हिमाचल प्रदेश सरकार विकास में विद्यमान सूक्ष्म स्तर की क्षेत्रीय असमानताओं / असंतुलन को दूर करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य से, चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान पिछड़े क्षेत्र को चयनित करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। इस प्रक्रिया के आधार पर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के माध्यम से पिछड़े घोषित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उद्देश्य

- क्षेत्रीय असमानताएँ कम करना
- पिछड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नीति बनाना
- योजना का विकेंद्रीकरण
- योजना और निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना
- विकास कार्यक्रम का बेहतर समन्वय एवम् एकीकरण प्रदान करना
- जिला स्तर पर संसाधनों का प्रवाह
- स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिक शक्तियाँ
- जिला स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने की प्रणाली विकसित करना

पंचायतों को पिछड़ा घोषित करने के लिए मानदंड

पिछड़ेपन को निर्धारित करने के सामाजिक, आर्थिक मानकों का विशलेषण किया जाता है। इन मानकों को निम्न अनुसार अंक निर्धारित हैं:-

क्रम सं०	मानक	मानक अंक
1	दूरस्थता एवं पहुंच क्षमता	25
2	जनसांख्यिकीय	35
3	बुनियादी ढांचा	36
4	कृषि	4
कुल		100

कोई भी पंचायत विभिन्न मानकों के आधार पर 60 या 60 से अधिक अंक प्राप्त करने पर पिछड़ा घोषित होने के योग्य होती है।

नीति

- विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-
    - **पिछड़े क्षेत्रों में तीन श्रेणियां शामिल हैं** :-
        - पिछड़े विकास खंड
        - समूह पंचायतें
        - बिखरी पंचायतें
- लाभार्थियों, प्रोत्साहन और आधारभूत विकास उन्मुख दृष्टिकोण
- वर्ष 2001-02 से अलग अनुदान मांग संख्या-15
- उपायुक्त नियंत्रक अधिकारी घोषित
- उप-योजना के पूंजीगत शीर्षों के लिए जिला योजना अधिकारी आहरण एवं वितरण अधिकारी
- सम्बन्धित जिले की जिला स्तरीय योजना, विकास एवं बीस सूत्रीय कायर्क्रम समीक्षा समिति जिला स्तर पर पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु प्राधिकृत
- जिलों में पिछड़ी पंचायतों की कुल संख्या के अनुपात में धनराशि का आबंटन

जिला वार पिछड़ी पंचायतों की संख्या

क्रम संख्या	जिला	पिछड़ी घोषित पंचायतें की संख्या
1.	बिलासपुर	15
2.	चम्बा	159
3.	हमीरपुर	13
4.	कांगड़ा	17
5.	कुल्लू	79
6.	मंडी	161
7	शिमला	83
8.	सिरमौर	26
9.	सोलन	3
10.	ऊना	3
कुल		**559**

बजट प्रावधान

पिछड़े क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित कार्य सत्र के कारण उप-योजना के लिए सरकार द्वारा निम्न तिमाही बजट प्रावधान पद्धति आरम्भ की है :-

क्रम संख्या	तिमाही	बजट प्रावधान (प्रतिशत में)
1.	प्रथम	25
2.	द्वितीय	40
3.	तृतीय	25
4.	चतुर्थ	10
कुल		100